भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4168** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों का संपर्क

†4168. कैप्टन बृजेश चौटा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारत - मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी वैश्विक संपर्क परियोजनाओं की तर्ज पर पश्चिमी तट के पत्तनों के संपर्क में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्गो की अधिक आवाजाही को सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में पत्तनों का विस्तार करने की कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मंगलौर की लक्षद्वीप से निकटता को देखते हुए व्यापार और परिवहन हेतु पहुंच में सुधार लाने के लिए लक्षद्वीप और मंगलौर पत्तन के बीच समुद्री संपर्क बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र को इस संपर्क से क्या लाभ होने की संभावना है और इसकी सहायता के लिए किसी योजनाबद्ध अवसंरचना का विकास किया गया है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): दिनांक 09 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आईएमईईसी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए उसके पश्चात् उसे लागू करने के लिए दिनांक 12 मार्च, 2024 को अंतर- सरकारी अवसंरचना करार के भारतीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। आईएमईईसी पर भारत और यूएई के बीच अवसंरचना करार के तहत वर्चुअल ट्रेड कॉरीडोर को दिनांक 10 सितंबर, 2024 को सॉफ्ट लांच किया गया था।

(ख): महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन (गैर-महापत्तन) संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। मंत्रालय, सागरमाला योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों को पत्तन अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क एवं रेल परियोजनाओं, मत्स्यन हार्बरों, कौशल विकास

परियोजनाओं, तटीय सामुदायिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रूज टर्मिनल तथा रो-पैक्स फेरी सेवाओं आदि जैसे विशेष एवं नवीन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सागरमाला योजना के तहत दक्षिण कन्नड सहित कर्नाटक राज्य में पत्तन अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न है **[अनुबंध-I]**

(ग) और (घ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला योजना के तहत 65 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय के साथ ओल्ड मंगलूर पत्तन पर कार्गो एवं क्रूज टर्मिनल के लिए संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं सहित लक्षद्वीप के लिए समर्पित जेट्टी के विकास हेतु परियोजना शुरू की थी। इसके 100% वित्त पोषण के लिए दिनांक 20.07.2022 को प्रशासनिक अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति, लक्षद्वीप प्रशासन को भेज दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, सैद्धांतिक अनुमोदन के 18 महीनों के बाद भी परियोजना को न सौंपे जाने के कारण, परियोजना को सागरमाला वित्त पोषण दिशा-निर्देशों के अनुसार 'डीम्ड डेफर्ड कैटेगिरी' के तहत वर्गीकृत किया गया था। लक्षद्वीप और मंगलूर पत्तन के बीच समुद्री संपर्कता में सुधार होने से सारभूत आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अवसंरचनात्मक लाभ जिसमें व्यापार में वृद्धि से लेकर बेहतर पर्यटन संबंधी संभावनाएं शामिल है प्राप्त होगा।

अनुबंध-I

क्रम सं	परियोजना का नाम	जिला	कार्यान्वयन एजेंसी	लागत (करोड़ रु. में)
1.	अमादल्ली में मौजूदा मत्स्यन हार्बर का आधुनिकीकरण	उत्तर कन्नड़	मत्स्यन पालन विभाग	19
2.	मालपे के मौजूदा फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए तीसरे चरण का विस्तार	उडुपी	मत्स्यन पालन विभाग	50
3.	ओल्ड मंगलूर पत्तन में तटीय कार्गो बर्थ का निर्माण	दक्षिण कन्नड़	कर्नाटक समुद्री बोर्ड	65
4.	कुलाई में फिशिंग हार्बर का विकास	दक्षिण कन्नड़	एनएमपीए	197
5.	हेजामाड़ी कोड़ी फिशिंग हार्बर का विकास	उडुपी	मत्स्यन पालन विभाग	138.6
6.	कारवार में अग्नि शमन उपकरण की स्थापना	उत्तर कन्नड़	कर्नाटक समुद्री बोर्ड	19.00

*****